1/11/17 पत्रावली पेश उभयपक्ष उपस्थित/[illegible] अधिकार जी 3... कार्य में। पत्रावली दिनांक 17/11/17 को पेश हो।

आदेश से रीडर

17-11-2017 पत्रावली पेश हुयी वादीगण अधिवक्ता उपस्थित साक्ष्य वादी उपस्थित नहीं है प्रकरण में आगामी तारीख पेशी पर साक्ष्यपेश नहीं करने पर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जावेगा प्रकरण दिनांक 8-12-2017 को पेश हो।

on merits

अस्वीकृत

...2017 पत्रावली पेश वादीगण अधिवक्ता उपस्थित। साक्ष्य वादी उपस्थित नहीं वादी की साक्ष्य बंद की जाती है। वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खिलिपांखुर्द पटवार हल्का हरनीवाला के आ.नं. 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595 596, 600, 601 किता 11 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा भूमी वादीगण के पिता रामा जी का 1/5 हक हिस्सा था। रामा जी का लगभग 27 वर्ष पूर्व निधन हो गया जिससे वादग्रस्त भूमि में रामा के 4/5 हिस्से की भूमि विरासत से भंवर (पुत्र) व वादीगण के नाम राजस्व अभिलेख में अभिलिखित होनी चाहिये थी लेकिन प्रतिवादी कालूलाल वादीगण के पिता स्व. रामा का गोदपुत्र बन रामा के हक हिस्से की भूमि अपने (कालूलाल) नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा दी। स्व. रामा जी के जायज्ञा पुत्र (भंवर) के जीवित होते हुए एवं (पुत्रियों) वादीगण के जीवित होते हुए रामा जी को ~~कोई~~ गोद लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एवं न ही रामा जी ने प्रतिवादी कालूलाल को कभी गोद ही रखा है। उक्त

उपखण्ड अधिकारी
... (राज.)

वादग्रस्त भूमि पर आजतक कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग वादीगण का ही चला आ रहा है।

रामा जी के निधन के लगभग 10 वर्ष पश्चात रामा जी का पुत्र भँवर जो वादीगण का सगा भाई भी लावल्द फौत हो गया। तथा भँवर ने भी अपने जीवनकाल में कभी भी किसी को गोद नहीं रखा लेकिन प्रतिवादी बाबूलाल ने अपने पुत्र सुरेन्द्र को भँवर का गोदपुत्र बता रामा के हक हिस्से की भूमि को दान द्वारा सुरेन्द्र के नाम अंतरित करवादी जबकि रामा के निधन के पश्चात रामा के हक हिस्से की भूमि रामा के आपन्दा पुत्र भँवर एवं हम वादीगण प्रथम श्रेणी के वारिसान होने से हमारे नाम राजस्व अभिलेख में होना चाहिये

अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर उक्त आराजियात में वादीगण को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 02 का नाम हटाया जाकर इन्द्राज दुरस्ती द्वारा वादीगण का नाम अभिलेख में दर्ज किया जावे। एवं प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में निष्पादित दान पत्र वादीगण के मुकाबले अवैध एवं प्रभावहीन घोषित किया जावे।

वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण स० 01 व 02 को स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित फरमाई जावे। वादग्रस्त भूमि के 1/5 हिस्से में वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग में कोई भी बाधा उत्पन्न न करे न अन्य से करावे। प्रतिवादी स० 04 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी

वाद पत्र मे प्रस्तुत दस्तावेज व वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया वादीगण द्वारा अपने दस्तावेज सिद्ध करने हेतु कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये।

अतः वादीगण का वाद सिद्ध नही होने से वाद पत्र खारीज किया जाता है।

आज दिनांक 8.12.2017 को निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से नामजे हो।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner